मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

विभागीय संरचना

संस्था के कार्य के सुचारू रूप से संचालन हेतु ''मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन'' निर्धारित है, जिसके अंतर्गत संस्था का संचालक मण्डल गठित है। संचालक मण्डल मे अध्यक्ष प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। संस्था का प्रधान कार्यालय भोपाल में स्थित है। संस्था के प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं। प्रधान कार्यालय से ही संस्था का पूरे प्रदेश का प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण होता है, तथा कार्य की सुविधा की दृष्टि से संस्था के 10 संभागीय कार्यालय क्रमशः इन्दौर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, खण्डवा, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, मंदसौर एवं होशंगाबाद मे स्थित है।

इसके अतिरिक्त संस्था की दो बीज परीक्षण प्रयोगशालायें इन्दौर, जबलपुर मे कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं की वार्षिक क्षमता 20,000 नमूने परीक्षण करने की है। अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण के लिये संस्था का एक प्रक्षेत्र देलमी जिला धार मे स्थित है।

उद्देश्य –

संस्था का उद्देश्य उन्नत फसलों की ऐसी किस्मों के बीज का प्रमाणीकरण करना है जो भारत शासन द्वारा अधिसूचित की गई हों। इन किस्मों का प्रमाणीकरण केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण मण्डल द्वारा निर्धारित बीज प्रमाणीकरण के सामान्य नियमों तथा विभिन्न फसलों के विशिष्ट मानकों के अंतर्गत किया जाता है ताकि कृषकों को उच्च कोटि का निर्धारित मानक के अनुरूप बीज उपलब्ध हो।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

भारत शासन द्वारा अधिसूचित बीज अधिनियम 1966 की धारा–8 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 1 फरवरी–1980 को हुई। संस्था का मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीयन कराया गया (पंजीयन क्रमॉक 8701 दिनॉक 21.1.80)। प्रदेश का कोई भी किसान जो उन्नत बीज उत्पादन में रूचि रखता हो मध्यप्रदेश की किसी भी बीज उत्पादक संस्था के माध्यम से अथवा सीधे अपना बीज उत्पादन कार्यक्रम पंजीकृत करा सकता है।

वर्तमान मे प्रदेश में निम्न संस्थाऐ बीज प्रमाणीकरण संस्था से अपना बीज प्रमाणित करा रही है;

1. राष्ट्रीय बीज निगम।
2. मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम।
3. मध्यप्रदेश तिलहन उत्पादक सह.संघ मर्यादित।
4. मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम।
5. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
6. मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग।
7. ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर।
8. बीज उत्पादक सहकारी समितियॉ।

9. महाराष्ट्र राज्य बीज निगम

10. निजी संस्थाऐ।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

संस्था की उपलब्धियॉ

2.1— 3 वर्षो में पंजीकृत क्षेत्रफल एवं प्रमाणित बीज की मात्रा निम्नानुसार हैः—

क्र.	वर्ष	पंजीकृत क्षेत्र लाख (हैक्ट. में)	प्रमाणित बीज की मात्रा (लाख क्विं. मे)
1.	2006—07	1.86	22.59
2.	2007—08	2.22	27.38
3	2008—09	3.07	35.58

2.2— बीज परीक्षण प्रगति

विगत तीन वर्षो में परीक्षण किये गये नमूने :— इकाईः— संख्या में

क्र.	प्रयोगशाला	2007—08	2008—09	2009—10 (31 दिसंबर 09 तक)
1	जबलपुर	17253	28731	13405
2	इन्दौर	15377	21701	14400
	योग	**32630**	**50432**	**27805**

भाग —दो

बजट प्रावधान

संस्था को वित्तीय वर्ष 2009—10 के बजट प्रावधान अनुसार राशि रूपये 1490.44 लाख की प्राप्ति तथा राशि रूपये 752.95 लाख रूपये के संभावित व्यय का बजट संस्था के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संस्था द्वारा वर्ष 1980—81 में बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 3000 हैक्टेयर रकबे से बीज प्रमाणीकरण का कार्य शुरू किया गया था, जो बढ़कर वर्ष 2008—09 में 3.07 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस रकबे से वर्ष 2009—10 खरीफ एवं रबी हेतु कुल 35.58 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया।

भाग—तीन

राज्य योजना

—निरंक—

भाग—4
सामान्य प्रशासनिक विषय

विभागीय पदोन्नतियॉ, जॉच, नियुक्तियॉ तथा स्थानान्तरण की जानकारी

अ— वर्ष 2009—10 में पदोन्नति नहीं दी गई है।

ब— विभागीय जॉच :—

स. क्र.	वर्ष	प्रारंभ में लंबित विभागीय जॉच	नये वर्ष में शामिल प्रकरण	कुल प्रकरण	जॉच कर निर्णय किया गया	निर्णय हेतु शेष प्रकरण
1	2009—10	25	04	29	06	23

स— न्यायालयीन प्रकरण 2009—10

स. क्र.	वर्ष	प्रारंभ में लंबित न्यायालयीन	नये वर्ष में शामिल न्यायालयीन	कुल न्यायालयीन प्रकरण	जॉच कर निर्णयीत न्यायालयीन	निर्णय हेतु शेष न्यायालयीन

		प्रकरण	प्रकरण		प्रकरण	प्रकरण
1	2009–10	13	04	17	–	17

द– नियुक्तियॉ

वर्ष 2009–10 में संस्था में एक सहायक श्रेणी–3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

घ– वर्ष 2009–10 में स्थानान्तरण की जानकारी

पद	श्रेणी	भरे पद	स्थानान्तरण		स्थानान्तरण निरस्त	
			प्रशासकीय	स्वयं के व्यय	प्रशासकीय	स्वयं के व्यय
बीज प्रमा. अधिकारी	प्रथम	07	02	–	–	–
उप बीज प्रमा. अधिकारी	द्वितीय	15	02	–	–	–
सहा. बीज प्रमा. अधिकारी	तृतीय	93	01	05	02	–

भाग–5

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जावे)

...........निरंक..........

भाग–6

सारांश

संस्था का गठन भारत शासन द्वारा अधिसूचित बीज नियम 1966 की धारा 8 के अन्तर्गत किया गया है एवं संस्था का मुख्य कार्य निर्धारित गुणवत्ता के बीज का प्रमाणीकरण करना है।